संख्या-18/2021/522/74-2-2021-06(ब)/2020

प्रेषक,

नरेन्द्र सिंह पटेल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सहायक निदेशक (रेशम),
झाँसी,
उ0प्र0, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में लेखा शीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या::135/सेरी0/लेखा/बजट(एरी)/2021-22 दिनांक 28 जुलाई, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में लेखा शीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)" अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0 04.00 लाख (रूपये चार लाख मात्र) की निम्न तालिका के अनुसार राज्यपाल महोदया उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

मद संख्या	मद का नाम	वर्ष 2021-22 हेतु आवश्यक धनराशि
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	4.00
	योग-	4.00

(रूपये चार लाख मात्र)

योजनान्तर्गत उपर्युक्त धनराशि रू0 4.00 लाख जो कि मद संख्या-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र के लिये प्राविधानित की गयी है, को योजना से आच्छादित जनपदों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिये निम्नवत आवंटित किया जाता हैः-

क्रमांक	जनपद का नाम	26 मशीन साज-सज्जा मद में आवंटन
1	हमीरपुर	1.45
2	जालौन	1.45
3	चित्रकूट	1.10
	योग-	4.00

(रूपये चार लाख मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे शासन को विलम्बतम 25 मार्च, 2022 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दी जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा हैं।

(6) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाय।

(7) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत की गयी धनराशि के फेजिंग कार्य की प्रगति एवं अवसर के अनुसार किया जाय, जहाँ तक संभव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल स्वीकृत धनराशि के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि का व्यय न किया जाय।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 एवं समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-7/26-ब0प्र0-2015 दिनांक 27-03-2015 में दिये गये शर्तो/नियमों के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) कोविड-19 के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में लेखा शीर्षक "4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

4- कोविड-19 के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

नरेन्द्र सिंह पटेल
सचिव ।

संख्या-18/2021/522/74-2-2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) निदेशक, रेशम निदेशालय उ0प्र0, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी- जालौन, बाँदा, चित्रकूट एवं हमीरपुर।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उ0प्र0, गोमती नगर, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(9) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(10) नियोजन अनुभाग-4
(11) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

नरेन्द्र सिंह पटेल
सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in